New Education Policy and Teacher Education
नई शिक्षा नीति और शिक्षक शिक्षा

भोमसिंह शेखावत
व्याख्याता रा.उ.मा.वि, चाण्डी
नागौर (राज.)

कोठारी आयोग–1966 की एक अतिमहत्त्वपूर्ण टिप्पणी है कि ''भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में बन रहा है।'' इसका तात्पर्य यह कि भावी समय के समस्त राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक अर्थशास्त्री, व्यवसायी आदि सभी वर्तमान शिक्षा के माध्यम से ही बनेंगे और इस शिक्षा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आधार स्तंभ होता है– शिक्षक। शिक्षक ही वह आदर्श और उत्प्रेरक होता है जिसे अधिकतर विद्यार्थी अनुकरण योग्य मानते है। एक अच्छा शिक्षक कक्षा की सर्वोच्च प्रतिभा से लेकर सबसे कमजोर कड़ी तक को साथ लेकर आगे बढ़ता है और ये सब संभव होता है शिक्षक द्वारा ग्रहण की गई शिक्षक–शिक्षा से।

हाल ही में घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में शिक्षक–शिक्षा पर अति–विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। जिसमें वर्ष 2030 के बाद शिक्षक बनने हेतु अनिवार्य योग्यता के रूप में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम को रखा गया है। तात्पर्य यह है कि 2030 के बाद एक वर्षीय एवं दो वर्षीय बी.एड. डिग्री के द्वारा शिक्षक नहीं बना जा सकेगा। नई शिक्षा नीति में उठाये गये इस क्रांतिकारी कदम की बदौलत भारत में श्रेष्ठ प्रकार के शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे और इस शिक्षा नीति के पाँच फोकस बिन्दुओं में शामिल गुणवत्ता (Quality) रूपी आयाम की पूर्ति हो सकेगी। इसका सबसे बेहतर लाभ यह होगा कि जिस किसी भी प्रतिभागी को शिक्षक बनना होगा, वह उच्च माध्यमिक स्तर पर ही इसे अपना प्रोफेशन बनाने की सोचने लगेगा जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं क्योंकि ज्यादातर वे लोग भी शिक्षक बनने के लिए परीक्षाएँ देते देखे गये हैं, जिन्हें अनेक प्रयासों के बाद भी अन्य कहीं नौकरी नहीं मिली। दूसरी अच्छी बात यह होगी कि चार वर्ष लगातार अपने मूल एकेडमिक विषय के साथ शिक्षक–शिक्षा का पाठ्यक्रम भी पूरी गुणवत्ता एवं निष्ठा के साथ पूर्ण करने पर व्यक्ति में अपने पेशे के प्रति अधिक प्रतिबद्धता आयेगी, वर्तमान में ऐसी निष्ठा व प्रतिबद्धता अनेक कारणों से बहुत कम है।

शिक्षा नीति–2020 में अध्यापक पात्रता परीक्षा को बढ़ाकर माध्यमिक स्तर तक किया गया है। इससे प्रशिक्षण प्राप्त प्रतियोगी विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों, बाल–विकास एवं शिक्षा शास्त्र एवं अपने विषय के प्रति अधिकाधिक अनुप्रयोगात्मक कुशलताएँ प्राप्त कर सकेंगे। अध्यापक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता भावी शिक्षकों को शिक्षण के सूत्र, सिद्धांत एवं चार वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम को गहनता से अध्ययन हेतु प्रेरित करेगी।

इसके साथ–साथ इस शिक्षा–नीति में प्रत्येक सेवारत शिक्षक हेतु प्रतिवर्ष 50 घण्टे Career Profession Development (CPD) के प्रशिक्षण हेतु अनिवार्य करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष भत्तों की व्यवस्था की गई है जो अन्य ग्रामीण लोगों को भी शिक्षक–शिक्षा की ओर आकृष्ट करेगी। इसके अलावा शिक्षकों की नियमित नियुक्ति से पूर्व अध्यापक पात्रता परीक्षा, साक्षात्कार, प्रदर्शन कक्षाएँ आदि सभी कदम शिक्षक–शिक्षा को उच्च आयाम प्रदान करने वाले हैं।

अब शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता आना स्वाभाविक हो गया है, इसको हम नई शिक्षा नीति की घोषणा के समय मानव संसाधन विकास मंत्री (शिक्षा मंत्री) द्वारा कहे गये इस उद्धरण से स्पष्ट समझ सकते है, जिसमें उन्होंने कहा कि– ''शिक्षक चयन के लिए ऐसे मापदण्ड तय किये जायेंगे कि आईएएस बनना आसान होगा लेकिन शिक्षक बनना कठिन होगा।''

अब आवश्यकता है तो सिर्फ इस बात की कि इस नीति को जिस प्रतिबद्धता के साथ लाया गया है, उसी प्रतिबद्धता के साथ इसे लागू भी किया जाये। यदि उक्त वर्णित मापदण्ड लागू होते हैं तो न केवल शिक्षक–शिक्षा ही गुणवत्तापूर्ण होगी बल्कि इसके अच्छे परिणाम एवं प्रभाव समाज की प्रत्येक गतिविधि एवं प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगोचर होंगे।